रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03122024-259120 CG-DL-E-03122024-259120

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 683]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 3, 2024/अग्रहायण 12, 1946

No. 683]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 3, 2024/AGRAHAYANA 12, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2024

सं. 31/2024-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 743(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पिठत वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112, वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 और साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और यह संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2022- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2022, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 496(अ), दिनांक 30 जून, 2022 के तहत प्रकाशित किया गया था, को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई और करने से लोप की गई बातो को छोड़ते हुए, करती है।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू] अमृता टाइटस, उप सचिव

7824 GI/2024 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue))

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2024

No. 31/2024-Central Excise

G.S.R. 743(E).— In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 112 of Finance Act, 2018 (13 of 2018), Section 125 of the Finance Act, 2021(13 of 2021) and Section 21 of General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 08/2022- Central Excise, dated the 30th June, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 496(E), dated the 30th June, 2022, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 354/15/2022-TRU] AMREETA TITUS, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2024

सं. 48/2024-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 744(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 और साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और यह संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 32/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2022, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 500 (अ), दिनांक 30 जून, 2022 के तहत प्रकाशित किया गया था, को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई और करने से लोप की गई बातो को छोड़ते हुए, करती है।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू] अमृता टाइटस, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2024

No. 48 /2024-Customs

G.S.R. 744(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with Section 21 of General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and Section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 32/2022-Customs, dated 30th June, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 500(E), dated 30th June, 2022, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 354/15/2022-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2024

सं. 01/2024-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी.)

सा.का.नि. 745(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017, का संशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा:-

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भन -
 - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2024 है।
 - (2) ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
- 2. उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 18 में, स्पष्टीकरण से पहले, पहले परन्तुक को लोप किया जायेगा।
- 3. उक्त नियम में, नियम 19 में, परन्तुक को लोप किया जायेगा।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू] अमृता टाइटस, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2024

No. 01/2024-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 745(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Excise Rules, 2017, namely: -

1. Short title and commencement -

- (1) These rules may be called the Central Excise (Amendment) Rules, 2024.
- (2) This notification shall come into force with immediate effect.
- 2. In the Central Excise Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said Rules), in rule 18, before the explanation, the first proviso shall be omitted;
- 3. In the said Rules, in rule 19, the proviso shall be omitted.

[F. No. 354/15/2022-TRU] AMREETA TITUS, Dy. Secy.